

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... महापुत्र इलम्वर स्व.S.O. मुकाम... वायवु

..... हुडमानराम बनाम वांशाराम वर्गार

किस्म मुकदमा... वां १११० 111,120 RLR Act नं. १६/१० सन्. २०१०

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>20/02/18</p> <p>04/04/18</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>जगदीश गौडार</u></p> <p>ने यह प्रार्थनपत्र/वाद/अपील धारा <u>111,120 RLR Act</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>04/04/18</u> को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी वहील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील बुद्धा प्राप्त जिसे शारित पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण वाफजुड तामिल मनु उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एडपट्रीय बयल सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खालेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेयम स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाउर नेयमबन्दी कोडेश किया जावे। अतः प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाउर लडसालार वाफुड के डामिशनर नियुक्त किया जाला ईव कोडेश किया जाला ई कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कनि श्री भू कमिश्नर निरिस्तु ले प्रार्थी के खालेदारी खेतों की पक्की नेयमबन्दी मोडे पर मुलुजमा-कराउर उरे पालना रिपोर्ट प्राप्त येने पर वासिल पत्रावली ई, पत्रावली पसल मुमा ई दर्ज नम्बर मे उम ई, दाखिल समल ई।</p>	<p>112 72/13/18</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 490

दिनांक :- 04.04.2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी गण

1. हनुमानराम पुत्र गोकलराम
जाति जाट निवासी गंगावास
कोसरिया
तहसील बायतु

1. बाकाराम पुत्र गिरधारीराम 8 जाति जाट
निवासी गंगावास कोसरिया
तहसील बायतु

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राजस्थान भू रा अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 86/18

आदेश

मौजा गंगावास पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नं. 4 रकबा 9.09 बीघा की भूमि के चारों तरफ नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्त भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखम बन्दी मौके पर शुल्क जमा कर करे तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक :- 04.04.2018



प्रतिश्रीमत् - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोसरिया को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री हनुमानराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री बाकाराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु